संख्या:57/2026/530/35-4-2026/35-4002(003)/14/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2059/अ०सं०/त्वरित/प्राक्कलन/2025-26 दिनांक 16 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-बाराबंकी में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 2435.38 लाख (रूपये चौबीस करोड़ पैंतीस लाख अड़तीस हज़ार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 607.00 लाख (रुपये छः करोड़ सात लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	वि०ख० सूरतगंज के ग्राम खाले का पुरवा में गजराज यादव के घर से हेतमापुर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.6	37.54	9.00	ग्रा0अभि0वि0
2	वि०ख० निन्दूरा के ग्राम जमोलिया पो० सिरसईपुर में राजकुमार (राजु) के घर से मुख्य मार्ग (अटहरा रोड) तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.5	35.52	9.00	ग्रा0अभि0वि0
3	वि०ख० हैदरगढ़ के ग्राम गजाखेरा ग्राम पंचायत बढ़नापुर में बढ़नापुर सम्पर्क मार्ग से भोलानाथ त्रिपाठी के मकान तक इण्टरलॉकिंग	0.5	31.98	8.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	एवं नाली का निर्माण कार्य।				
4	वि०ख० बनीकोडर के ग्राम जरौली में महराजदीन दुबे के दरवाजे से शैलेन्द्र पाठक के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.65	41.47	10.00	ग्रा0अभि0वि0
5	वि०ख० दरियाबाद के ग्राम मक्का का पुरवा मजरे तारापुर में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.53	31.06	8.00	ग्रा0अभि0वि0
6	वि०ख० बनीकोडर के ग्राम अद्दापुर मजरे भवनियापुर में अतुल यादव के घर से पक्की सड़क तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.5	29.62	7.00	ग्रा0अभि0वि0
7	वि०ख० दरियाबाद के ग्राम ममरखापुर (मरखापुर) मजरे जेठौती राजपूतान में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.45	33.34	8.00	ग्रा0अभि0वि0
8	वि०ख० पूरेडलई में सैखलीपुर मार्ग से सराय नेतामऊ मार्ग तक सी०सी० कार्य।	0.4	27	7.00	ग्रा0अभि0वि0
9	वि०ख० बनीकोडर के ग्राम छण्दवल में डा० देशराज पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.225	16.84	4.00	ग्रा0अभि0वि0
10	वि०ख० बनीकोडर के बाजपुर चन्द्रभानपुर सम्पर्क मार्ग से पूरे पाण्डेय (मजरे खरिकाफूल) तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.4	29.63	7.00	ग्रा0अभि0वि0
11	वि०ख० बनीकोडर के किठैया-खेवराजपुर सम्पर्क मार्ग से दुर्गापुर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.5	33.58	8.00	ग्रा0अभि0वि0
12	पूरे बढ़ई मजरे बबुरी गांव में मेन रोड से अशोक शुक्ला के दरवाजे तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.35	20.23	5.00	ग्रा0अभि0वि0
13	तहसील रामसनेहीघाट में अधिवक्ता चैम्बर में जनसुविधाओं का विकास कार्य	1 अदद	21.77	5.00	ग्रा0अभि0वि0
14	मल्लू लालपुर (मल्लूपुर) में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.285	19.79	5.00	ग्रा0अभि0वि0
15	खलसापुर में छूटी कड़ी तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.5	37.88	9.00	ग्रा0अभि0वि0
16	मवईपुर मजरे खजुरी में इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.505	30.73	8.00	ग्रा0अभि0वि0
17	नगर पंचायत टिकैतनगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	15 अदद	98.83	25.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

18	नगर पंचायत दरियाबाद में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	5 अदद	32.94	8.00	ग्रा0अभि0वि0
19	नगर पंचायत विस्तारित क्षेत्र फतेहपुर, में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	38 अदद	250.32	63.00	ग्रा0अभि0वि0
20	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम पंचायत मिठवारा के बिहूरापुरवा में डामर रोड से उत्तम चौधरी के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.45	27.64	7.00	ग्रा0अभि0वि0
21	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम पंचायत मुण्डवा में डामर रोड से विरेन्द्र वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.225	11.99	3.00	ग्रा0अभि0वि0
22	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम पंचायत कैथा में डामर रोड से रज्जू लाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.315	18.85	5.00	ग्रा0अभि0वि0
23	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम पंचायत नेरी में प्रेम नारायण के घर से अरूण श्रीवास्तव के घर तक होते हुए ब्रम्हदेव स्थान तक इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	0.21	12.22	3.00	ग्रा0अभि0वि0
24	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम भटपुरवा में बिलौली स्कूल से विपुल कुमार के घर के आगे राजेश कुमार के घर तक निर्माण कार्य।	0.24	13.46	3.00	ग्रा0अभि0वि0
25	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम सरसवां में सी०सी० रोड से स्वतत्रंता संग्राम सेनानी भगौती प्रसाद वर्मा के समाधि स्थल तक इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	0.22	12.76	3.00	ग्रा0अभि0वि0
26	विकास खण्ड फतेहपुर के सवितापुर में कदिराबाद होते हुए रौजा सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	0.27	15.19	4.00	ग्रा0अभि0वि0
27	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम मवैया में मक्का लाल के घर से सचिन तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.263	13.16	3.00	ग्रा0अभि0वि0
28	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम पंचायत बिशुनपुर के रडवारा में डामर रोड से जानकी गिरी के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.26	14.67	4.00	ग्रा0अभि0वि0
29	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम बिनवापुरी मजरे दीनपनाह में राजू चौहान के स्कूल के आगे रामकरन के घर से घर जाने वाले रास्ते तक	0.206	11.25	3.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।				
30	विकास खण्ड फतेहपुर के ग्राम टंडवा नानकारी में डामर रोड से मंदिर के पास सत्यनारायण मौर्य के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	0.2	11.25	3.00	ग्रा0अभि0वि0
31	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम हिदायतपुर के बल्लापुर में खण्डजा मार्ग से रमेश चन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.22	12.14	3.00	ग्रा0अभि0वि0
32	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम पडरी में प्राथमिक स्कूल से विजय वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.275	14.92	4.00	ग्रा0अभि0वि0
33	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम भण्डार में डामर रोड से सुरेश वर्मा के घर होते हुए राजेन्द्र रावत के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	0.22	11.9	3.00	ग्रा0अभि0वि0
34	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम खागीपुर में भदरास रोड से रामू चौरसिया के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.22	11.89	3.00	ग्रा0अभि0वि0
35	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम डफरपुर में प्रा०वि० से इण्टरलॉकिंग मार्ग तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.22	12.68	3.00	ग्रा0अभि0वि0
36	विकास खण्ड फतेहपुर के कौड़ियाद टांडा निजामअली डामर रोड से अनिल यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग मार्ग निर्माण कार्य।	0.202	11.38	3.00	ग्रा0अभि0वि0
37	विकास खण्ड निन्दूरा के ग्राम गोडैचा में मार्ग से मन्दिर के पास तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.2	11.26	3.00	ग्रा0अभि0वि0
38	विकास खण्ड सूरतगंज के ग्राम दुन्दपुर डामर रोड से शुभम वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.09	4.83	1.00	ग्रा0अभि0वि0
39	नगर पंचायत सुबेहा के विस्तारित क्षेत्र में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य	20 अदद	131.75	33.00	ग्रा0अभि0वि0
40	नगर पंचायत हैदरगढ़ में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य	10 अदद	65.87	16.00	ग्रा0अभि0वि0
41	हैदरगढ़ तहसील परिसर में अधिवक्ता चैम्बर शेड का निर्माण कार्य।	01 अदद	19.62	5.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

42	विकास खण्ड त्रिवेदीगंज में खैराबीरू हाथी पुरवा सम्पर्क मार्ग से गाजीखेड़ा होते हुए बल्ला खेड़ा तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.635	36.01	9.00	ग्रा0अभि0वि0
43	विकास खण्ड हैदरगढ़ के रतौली (ओहराम) में चौबीसी कोलवा-किरसिया रोड से अरविन्द सिंह के दरवाजे होते हुए गांव तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.505	29.81	7.00	ग्रा0अभि0वि0
44	विकास खण्ड त्रिवेदीगंज डामर रोड नहर पुलिया से बसंतपुर गांव तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य।	0.655	39.22	10.00	ग्रा0अभि0वि0
45	विकास खण्ड सिद्धौर में बांदा बहराइच मार्ग से लम्बौआ से बुधनई गांव तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.785	59.44	15.00	ग्रा0अभि0वि0
46	विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम खम्मनखेड़ा में चतुरी कोरी के घर से राम बहादुर पासी के घर तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.615	34.63	9.00	ग्रा0अभि0वि0
47	विकास खण्ड हैदरगढ़ के ग्राम करौन्दी लखनऊ-सुल्तानपुर मार्ग से करौन्दी सम्पर्क मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.97	53.3	13.00	ग्रा0अभि0वि0
48	विकास खण्ड सिद्धौर के ग्राम मीरापुर से बबक्करपुर सरायमीर रोड तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.6	33.52	8.00	ग्रा0अभि0वि0
49	नव सृजित नगर पंचायत रामसनेहीघाट में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य	10 अदद	65.89	16.00	ग्रा0अभि0वि0
50	विस्तारित नगर पंचायत रामनगर में मार्ग प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	20 अदद	131.77	33.00	ग्रा0अभि0वि0
51	वि०ख० सूरतगंज में अकोहना डामर रोड से सैदनपुर होते हुए सेमरायं डामर रोड तक मार्ग निर्माण कार्य।	1.6	135.48	34.00	ग्रा0अभि0वि0
52	वि0ख0 सिरौलीगौसपुर के दरवेशपुर शहादतगंज सम्पर्क मार्ग से गहरेला होते हुए शहादतगंज रामनगर मार्ग तक मार्ग निर्माण कार्य।	1.8	123.49	31.00	ग्रा0अभि0वि0
53	वि०ख० सिरौलीगौसपुर के ग्राम पचरौली गांव से देवस्थान होते हुए शारदा नहर तक मार्ग निर्माण कार्य।	0.66	47.48	12.00	ग्रा0अभि0वि0
54	विकास खण्ड देवा की ग्राम पंचायत सिपहिया	0.55	36.89	9.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	के मजरे जदईपुरवा से बेलहा ग्राम तक सड़क का निर्माण कार्य।				
55	लखनऊ-अयोध्या मार्ग से विकास खण्ड बंकी सहेलिया ग्राम तक सड़क निर्माण कार्य।	1.05	62.92	16.00	ग्रा0अभि0वि0
56	विकास खण्ड रामनगर के रानीबाजार त्रिलोकपुर डामर रोड से ग्राम उसरी मजरे निजामपुर में दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.57	33.74	8.00	ग्रा0अभि0वि0
57	विकास खण्ड रामनगर के ग्राम जुलहामऊ काजीपुर डामर रोड से गुरू दयाल के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.62	35.88	9.00	ग्रा0अभि0वि0
58	विकास खण्ड रामनगर के ग्राम अमलोरा थालकला डामर रोड से माइनर होते हुए ग्राम गुलरिहा की ओर इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	0.7	39.08	10.00	ग्रा0अभि0वि0
59	वि०ख० हरख के अन्तर्गत ग्राम कटेसर से ननकूपुरवा नहर तक सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण कार्य।	0.5	36.12	9.00	ग्रा0अभि0वि0
60	वि०ख० हरख के अन्तर्गत तमर्सेपुर में डामर रोड से प्रा०वि० से सर्वजीत कुमार के घर तक सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण कार्य।	0.54	39.2	10.00	ग्रा0अभि0वि0
61	वि०ख० मसौली के अन्तर्गत ग्राम लक्षबर जकरिया सम्पर्क मार्ग से शैलेन्द्र कुमार के मकान तक मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	0.35	30.76	8.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग		**2435.38**	**607.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उक्त कार्यों में से क्रमांक 13 एवं 41 **पर होने वाले व्यय** रू0 10,00,000 (रू0 दस लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के **लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0303-अधिवक्ताओं के चेम्बर्स/पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर पर अधिवक्ता/वादकारी के लिये स्थायी ढ़ांचे के निर्माण के लिए एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे, क्रमांक 17 से 19, 39, 40, 49, 50 पर होने वाले व्यय रू0 1,94,00,000 (रू0 एक करोड़ चौरान्नबे लाख मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के **लेखाशीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए एक मुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा शेष कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 4,03,00,000 (रू0 चार करोड़ तीन लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:57/2026/530(1)/35-4-2026/35-4002(003)/14/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बाराबंकी।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बाराबंकी।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, बाराबंकी।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।